सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–05 शुक्रवार, दिनांक–25 जुलाई, 2025 ई०।

माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वा० से 11:05 बजे पूर्वा० तक

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करना शुरू किये।

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।
(ii) 01 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iii) 02 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
(iv) 134 तारांकित प्रश्न अनागत।

तारांकित प्रश्न संख्या–411 के दौरान विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्य शोरगुल करते हुए वेल में आ गए। आसन द्वारा उन्हें अपने स्थान पर जाने का बार–बार अनुरोध किया गया। परंतु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन भोजनावकाश तक के लिये स्थगित हो गया।

भोजनावकाश के बाद

(02:00 बजे अपराह्न से 02:07 बजे अपराह्न तक)

[2] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

1. माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य–कर विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–99 के तहत् अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–135, दिनांक–04.06.2025 की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया। यह 14 (चौदह) दिनों तक सदन पटल पर रहेगा।

2. माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य–कर विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2007 की धारा–166 के तहत् अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, दिनांक–24.04.2025; एस0ओ0–132, 133, 134, दिनांक– 19.05.2025; एस0ओ0–141, दिनांक–20.06.2025; एस0ओ0–144, दिनांक–09.07.2025 की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया। यह 30 (तीस) दिनों तक सदन पटल पर रहेगा।

3. माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक लेखा–विवरण) नियमावली, 2012 की धारा–6 के तहत् बिहार विद्युत विनियामक आयोग के कार्यकलाप के संबंध में वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2013–14 एवं 2014–15 से 2021–22 तक के वार्षिक लेखा विवरण एवं उस पर महालेखाकार, बिहार का अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

4. माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा–55 के आलोक में बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2025 की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

5. माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य विश्लेषक संवर्ग) नियमावली, 2025 एवं बिहार बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य संरक्षा सेवा) नियमावली, 2025 की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

6. माननीय प्रभारी मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 एवं बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

7. माननीय सभापति, पर्यटन उद्योग संबंधी समिति, श्री सत्यदेव राम द्वारा पर्यटन उद्योग समिति का पंचम प्रतिवेदन एवं षष्ठम् प्रतिवेदन की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[3] **याचिकाओं का उपस्थापन :–**

सभा सचिव द्वारा कुल 60 याचिकाओं का पठन सभा पटल पर किया गया।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने मांगो को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए। आसन द्वारा बार–बार अनुरोध करने के बाद भी शांति कायम न हो सकी और सदन की कार्यवाही 02:30 बजे अपराह्न तक स्थगित कर दी गई।

स्थगनोपरांत

(02:30 बजे अप० से 02:43 बजे अप० तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[4] **आसन से घोषणा :–**

आसन द्वारा सूचित किया गया है कि सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र में प्राप्त गैर सरकारी संकल्पों को पढ़ा हुआ माना जाता है एवं इसे गैर सरकारी संकल्प समिति को सुपुर्द किया जाता है।

आज दिनांक– 25 जुलाई 2025 की निर्धारित सूचीबद्ध ध्यानाकर्षण सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए उसे प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द करने तथा सूचीबद्ध शून्यकाल सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है।

[5] समापन भाषण :–

आज जब यह सत्र सम्पन्न हो रहा है, तो मेरे हृदय में एक मिश्रित भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है– कहीं संतोष है, कहीं आत्ममंथन और कहीं एक गहरी कृतज्ञता का भाव ।

यह पाँच दिवसीय सत्र, जो 21 जुलाई को आरम्भ हुआ था, हम सबके वर्तमान कार्यकाल का अन्तिम सत्र है ।

इस सत्र में कुल 07 जननायकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई । वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का व्यवस्थापन हुआ । इस सत्र में कुल 13 राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली । इसमें कुल 07 अल्पसूचित प्रश्न, 546 तारांकित प्रश्न एवं 64 अतारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए । कुल 98 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुईं। कुल 140 निवेदन स्वीकृत हुए । कुल 60 याचिकाएँ स्वीकृत हुईं । कुल 111 गैर–सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में विमर्श हुआ । इस सत्र में शून्यकाल के लिए कुल 109 सूचनाएँ माननीय सदस्यों द्वारा दी गईं । कई महत्वपूर्ण कागजात सदन पटल पर रखे गए ।

माननीय सदस्यगण, पाँच वर्षों की विधायी यात्रा आज औपचारिक रूप से अपनी मंजिल पर पहुँच रही है । यह सत्रहवीं बिहार विधान सभा का समापन भले ही विधान सभा के एक कालखंड का समापन हो परन्तु यह अवधि कई संस्मरणों की संकलित पोटली है, जो हम सबने मिलकर संजोई है।

इस विधान सभा के पटल पर हमने न केवल विधेयकों पर चर्चा की, बल्कि यहाँ विचारों का आदान–प्रदान हुआ, मतभेदों के बीच संवाद हुआ, तीखी बहसें भी हुईं, लेकिन लोकतंत्र हमेशा जीवंत रहा, यह आवश्यक भी है कि–

"नाराजगी कभी भी इतनी लम्बी नहीं होनी चाहिए,
कि नाराजगी रह जाए और इंसान गुजर जाए ।"

इन पाँच वर्षों में हमने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों पर विचार किया । महिला सशक्तिकरण से लेकर युवाओं के कौशल विकास तक, कृषि सुधार से लेकर डिजिटल प्रशासन तक – आप सभी जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग से हमने विधान सभा की भूमिका को जनसेवा के एक प्रभावी मंच के रूप में सशक्त किया ।

यह भी सच है कि हर कार्यकाल में कुछ इच्छाएँ अधूरी रह जाती हैं, कुछ योजनाएँ आकार लेती हैं, कुछ चर्चाएँ आगे की विधायिका के लिए अधूरी छोड़ दी जाती हैं । लेकिन हमें गर्व है कि हम सबने अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ निभाने का प्रयास किया।

सदन की कार्यवाही के संचालन में आप सबका सहयोग हमेशा प्रेरणादायक रहा । आपके अनुभव, आपकी उपस्थिति, आपके हास्य विनोद और आपके योगदान ने इस सदन को गरिमा प्रदान की है। किसी ने ठीक ही कहा है–

"हँसते रहोगे तो दुनिया साथ है,
वरना आँसुओं को तो आँखों में भी जगह नहीं मिलती ।"

मैं इस अवसर पर विधान सभा सचिवालय के समस्त पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मियों, राज्य सरकार के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, मीडिया प्रतिनिधियों, सुरक्षा बलों और अन्य सभी सहयोगी संस्थाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी सतत सेवा भावना और समर्पण ने सदन की कार्यवाही को निर्बाध, मर्यादित और सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता की ।

माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र का सबसे सुंदर पक्ष यही है कि यह परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है । यह सदन फिर से नवनिर्माण की ओर अग्रसर होगा । कुछ पुराने चेहरे लौटेंगे, कुछ नये जनप्रतिनिधि इस पवित्र भवन में प्रवेश करेंगे । परन्तु लोकतंत्र की यह मशाल जलती रहेगी– जनता के विश्वास से, जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व से और संविधान के प्रति हमारी आस्था से ।

अन्त में, मैं यही कहना चाहूँगा कि यह सदन केवल दीवारों और सीटों का समूह नहीं, बल्कि जनता की आशाओं, संघर्षों और विश्वासों का प्रतीक है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस मंच पर अपने विचार, चिंतन और निर्णयों के माध्यम से प्रदेश के भविष्य को आकार देने का अवसर मिला ।

इस सदन से बाहर जाते हुए हम सबको यह स्मरण रहे कि हमारे शब्द, हमारे मत, हमारे निर्णय– इतिहास में दर्ज होते हैं । वे आने वाले समय की दिशा तय करते हैं । इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि जिस गरिमा, संयम और संवेदनशीलता से हमने यहाँ कार्य किया, उसी भावना को समाज और आने वाले प्रतिनिधियों तक पहुँचाएँ।

अब जबकि यह सत्र और इस विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि इस सदन के संचालन में मेरी बात से अगर किन्हीं माननीय सदस्य को कोई कष्ट हुआ हो या वे आहत हुए हों तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ । मैंने पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है । हो सकता है मुझसे कोई चूक हो गई हो । कृपया इसे अन्यथा न लेंगे।

इसके साथ ही मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ– आने वाले चुनावों के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए और जनसेवा के आपके सतत प्रयासों के लिए । अंत में दो पंक्तियाँ कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा–

" खूबियां तो इतनी नहीं हममें,
कि तुम्हें कभी याद आएंगे,
पर इतना तो ऐतबार है हमें खुद पर,
आप हमें कभी भूल नहीं पाएंगे ।"

तत्पश्चात् बिहार गीत के साथ सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुई।

दिनांक –25.07.2025

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।